एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन और विकास को सुगम बनाने तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और इससे जुड़े मामलों के लिए सरकार ने एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम की प्रति को निम्नलिखित वेबलिंक से प्राप्त किया जा सकता है:

https://legislative.gov.in/sites/default/files/H200627.pdf

उद्यमों का वर्गीकरण:

भारत सरकार द्वारा दिनांक 26-06-2020 को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, एक उद्यम को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:

उद्यमों का प्रकार	संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश (रुपये में)	वार्षिक कारोबार (रुपये में)
सूक्ष्म उद्यम	एक करोड़ तक	पांच करोड़ तक
लघु उद्यम	दस करोड़ तक	पचास करोड़ तक
मध्यम उद्यम	पचास करोड़ तक	ढाई सौ करोड़ तक

इस अधिसूचना की प्रति को निम्नलिखित वेबलिंक से प्राप्त किया जा सकता है:

https://udyamregistration.gov.in/docs/220191.pdf

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.07.2020 से MSME परिभाषा को संशोधित करते हुए Udyam Registration की शुरुआत की गई है एवं Udyog Aadhar Memorandum (UAM) के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी MSME इकाईओं को अपना रजिस्ट्रेशन Udyam Registration में परिवर्तित करने का आग्रह किया गया है। MSME क्षेत्र को मिलने वाले सभी लाभों के लिए Udyam Registration ही मान्य होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन पुर्णतः ऑनलाइन, पेपर रहित एवं फ्री है।

इसे आप निचे दिए वेबपोर्टल पर जाकर कर सकते है:

https://udyamregistration.gov.in